**36. एक जल सारिणी को रोकने हेतु व्यादेश हेतु तथा ऐसे सदोष कृत्य के लिए नुकसानी हेतु वाद**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

अबक ........ वादी

बनाम

कखग ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है -**

1. वादी का जिसे ............... के गांव .......... के रूप में ज्ञात ( ........................) पर स्थित मिल पर कब्जा है और इसमें इसके पश्चात् वर्णित समय पर था।
2. ऐसे कब्जे के आधार पर वादी, मिल के कार्य करने के लिए धारा को प्रवाहित करने का हकदार था।
3. तारीख को प्रतिवादी ने धारा के किनारे को काटकरके उसके जलको सदोषतः इस प्रकार मोड़ दिया कि कम जल वादी की मिल में जाय।
4. उसके आधार पर वादी प्रतिदिन................ बोरे से अधिक को पीसने में असमर्थ हो गया है, अतः जल के कथित मुड़ने के पूर्व वह प्रतिदिन पीसने में समर्थ था।
5. प्रतिवादी नदी के जल के प्रवाह को मोड़ने से उसको रोकने वाला उसके विरुद्ध तथा स्थायी व्यादेश को जारी करके अवरुद्ध किया जाने योग्य है और सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है।
6. वादी का यथा परोक्त प्रतिवादी के सदोष कार्य के कारण वाद को दाखिल करने की तारीख तक .................................. रुपये का नुकसान हुआ है।
7. वादी ने यथापरोक्त किसी ऐसे सदोष कार्य द्वारा वादी के विधि पूर्ण अधिकार में हस्तक्षेप करने से उसको अवरुद्ध करने वाली तथा नुकसानी की मांग करने वाली दिनांकित...................... प्रतिवादी को एक रजिस्ट्रीकृत नोटिस दिया। नोटिस तारीख .................... को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गयी। प्रतिवादी की उसके दायित्व का प्रत्याख्यान करने वाला एक उत्तर तारीख ................. को वादी द्वारा प्राप्त किया गया।
8. वाद हेतुक तारीख को उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी ने जल के स्रोत को पहले मोड़ दिया। दूसरे, उस समय जब प्रतिवादी ने वादी की नोटिस प्राप्त की और अंततोगत्वा वादी ने अपने दायित्व को प्रत्याख्यान करके प्रतिवादी का उत्तर प्राप्त किया और इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती है।
9. वाद का मूल्यांकन ....... ............. रुपये पर किया जाता है और व्यादेश के विवाद्यक के प्रयोजनार्थ इसका मूल्यांकन................ रुपये पर किया जाता है और यह उस पर न्यायालय फीस का संदाय किया जाता है।

**दावाकृत अनुतोष**

वादी निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करता है -

1. प्रतिवादी को उपर्युक्त जल सोत को मोड़ने से एक स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेशा जारी करके रोक दिया जाय।
2. प्रतिवादी के सदोष कार्य के लिए नुकसानी के रूप में ........ रुपये का भुगतान और।
3. वाद व्यय वादी को. अधिनिर्णीत किया जाय।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी